

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1274

दिनांक 09.02.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

एनआरडीडब्ल्यूपी

1274. श्री दिलेश्वर कामैत:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) के अंतर्गत ओडिशा और बिहार राज्यों में आवंटित/जारी/उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त राज्यों, विशेषकर ओडिशा के कटक, नयागढ़, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर जिलों में इस योजना के अंतर्गत पूर्ण की गई परियोजनाओं की संख्या क्या है;
- (ग) उक्त राज्यों में इस कार्यक्रम के अंतर्गत लम्बित परियोजना प्रस्तावों के जिला-वार नाम/ब्यौरा क्या है; और
- (घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी लम्बित प्रस्तावों के अनुमोदन/कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क): अगस्त, 2019 में, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) को जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल में शामिल कर लिया गया था, जिसका उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन प्रदान करना है। पिछले तीन वर्षों के दौरान जेजेएम के अंतर्गत आवंटित/जारी/ओडिशा और बिहार राज्यों द्वारा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

| वर्ष | ओडिशा | | | बिहार | | |
|---------|--------|---------------------------------|------------------|--------|---------------------------------|------------------|
| | आवंटन | राज्यों द्वारा आहरित निधि | संसूचित उपयोग | आवंटन | राज्यों द्वारा आहरित निधि | संसूचित उपयोग |
| 2019-20 | 364.74 | 364.74 | 275.02 | 787.31 | 417.35 | 473.33 |

| | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 2020-21 | 812.15 | 609.11 | 688.69 | 1,839.16 | 353.60 | 551.82 |
| 2021-22 | 3,323.42 | 2,492.56 | 1,306.20 | 6,608.25 | 0 | 4 |
| 2022-23* | 3,608.62 | 866.57 | 1,169.66 | 4,766.90 | 0 | 0 |

*06.02.2023 की स्थिति के अनुसार

(ख): ओडिशा और बिहार सहित सभी राज्यों की पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं (पूर्ण, चालू, प्रस्तावित) का जिला-वार ब्यौरा जेजेएम-आईएमआईएस पर पब्लिक डोमेन में निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

https://ejalshakti.gov.in/JJM/JJMReports/BasicInformation/frm_svs_mvs_scheme_status_s.aspx

बिहार सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 15.08.2019 को जेजेएम के शुभारंभ के बाद से 3,140 योजनाओं को पूरा कर लिया गया है।

ओडिशा सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार, कटक, नयागढ़, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर जिलों में जेजेएम के अंतर्गत पूर्ण की गई परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) और (घ): बिहार और ओडिशा सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार, इन राज्यों में कार्यक्रम के अंतर्गत कोई भी परियोजना प्रस्ताव अनुमोदन के लिए लंबित नहीं है।

पेयजल राज्य का विषय होने के चलते, राज्य ही पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन और कार्यान्वयन करते हैं। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ओडिशा और बिहार सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आयोजना और क्रियान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा कर रही है। केंद्रीय मंत्रीगण, राज्यों के मुख्य मंत्रीगण, मंत्रिमंडल सचिव, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और प्रभारी सचिव जैसे उच्चतम स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें की जाती हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सम्मेलन, कार्यशालाएं, विडियो कांफ्रेंसिंग शामिल हैं, आयोजित की जाती हैं और बहु-विषयक टीमों द्वारा क्षेत्रीय दौरे भी किए जाते हैं जिनमें राज्यों को समयबद्ध तरीके से लक्ष्य हासिल करने के लिए क्रियान्वयन की योजना बनाने तथा क्रियान्वयन में तेजी लाने की सलाह दी जाती है।

दिनांक 09.02.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या
1274 (भाग 'ख') के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

जेजेएम के तहत पूरी की गई परियोजनाओं के ब्यौरे

| क्र. सं. | वर्ष | जिला | जारी निधियां (लाख रुपये में) | प्रयुक्त निधियां (लाख रुपये में) | पूर्ण परियोजनाओं की संख्या |
|----------|---------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2019-20 | बालासोर | 4270.76 | 4270.76 | 31 |
| 2 | 2020-21 | बालासोर | 5901.65 | 5901.65 | 60 |
| 3 | 2021-22 | बालासोर | 14369.37 | 14369.37 | 29 |
| | | कुल | 24541.78 | 24541.78 | 120 |
| 4 | 2019-20 | भद्रक | 707.24 | 707.24 | 0 |
| 5 | 2020-21 | भद्रक | 3709.9 | 3709.9 | 59 |
| 6 | 2021-22 | भद्रक | 4689.17 | 4689.17 | 10 |
| | | कुल | 9106.31 | 9106.31 | 69 |
| 7 | 2019-20 | नयागढ़ | 1321.34 | 1321.34 | 125 |
| 8 | 2020-21 | नयागढ़ | 60.15 | 60.15 | 0 |
| 9 | 2021-22 | नयागढ़ | 394.9 | 394.9 | 16 |
| | | कुल | 1776.39 | 1776.39 | 141 |
| 10 | 2019-20 | जगतसिंहपुर | 535.02 | 535.02 | 0 |
| 11 | 2020-21 | जगतसिंहपुर | 895.57 | 895.57 | 0 |
| 12 | 2021-22 | जगतसिंहपुर | 2677.43 | 2677.43 | 11 |
| | | कुल | 4108.02 | 4108.02 | 11 |
| 13 | 2019-20 | कटक | 731.78 | 731.78 | 2 |
| 14 | 2020-21 | कटक | 4778.43 | 4778.43 | 20 |
| 15 | 2021-22 | कटक | 19038.32 | 19038.32 | 12 |
| | | कुल | 24548.53 | 24547.78 | 34 |
| 16 | 2019-20 | पुरी | 1288.33 | 1288.33 | 17 |
| 17 | 2020-21 | पुरी | 2626.61 | 2626.61 | 37 |
| 18 | 2021-22 | पुरी | 6828.01 | 6828.01 | 18 |
| | | कुल | 10742.95 | 10742.95 | 72 |
| 19 | 2019-20 | केंद्रपाड़ा | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2020-21 | केंद्रपाड़ा | 42.13 | 42.13 | 16 |
| 21 | 2021-22 | केंद्रपाड़ा | 84.09 | 84.09 | 21 |
| | | कुल | 126.22 | 126.22 | 37 |